27/11/25

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित है। माननीय विवेचक महोदय द्वारा मामले में प्रकरण के तथ्यों में अंतिम निष्कर्ष होने तक मूल पत्रावली अस्थायी व्यवस्था हेतु न्यायालय को गई मूल पत्रावली अस्थायी व्यवस्था को अग्रसारित की जा चुकी है एवं प्रकरण में अस्थायी व्यवस्था के निर्णय के पश्चात ही आगामी कार्यवाही संभव है।

अतः प्रकरण में अस्थायी व्यवस्था निर्णय तथा मूल पत्रावली पुनः न्यायालय हाजा में प्राप्त होने के पश्चात पुनः नम्बर पर लिया जावेगा। पत्रावली नम्बर के बाद है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) भरतपुर